कोषालय अधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोषालय में रखे जाने के लिए भेजा जाएगा और कोषालय अधिकारी या उप कोषालय अधिकारी, वित्तीय नियम 9 और 10 के अनुसार कार्यवाही करेगा. ज्ञापन, मजिस्ट्रेट को वापस किया जाएगा. तथा जांच या विचारण के अभिलेख में फाइल किया जाएगा. प्रत्येक पैकेट, चाहे वह कोषालय अधिकारी या उप कोषालय अधिकारी को भेजा गया हो, की प्रविष्टि ऊपर उल्लिखित रजिस्टर में की जाएगी और अभिकथित अंतर्वस्तुएं और उनके मूल्य समुचित कॉलम में नोट किये जायेंगे.".

No. C-1099-IV-8-59-2005.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 227 of the Constitution of India, the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Rules and Orders (Criminal) for the guidance of Criminal Courts in Madhya Pradesh, namely :—

AMENDMENT

1. In Part-I, in Chapter 5, under the heading "General procedure in enquiries and Trials.".—

In rule 124—

(a) in sub-rule (2), the words "Exceeding Rs. 100/- in aggregate value" shall be omitted,

(b) in sub-rule (3), the words "if the value of the packet exceeds Rs. 100" shall be omitted.

2. In Part-v, In chapter-27, under the heading "nazarats,"— in rule 680, under the heading "Register of property made over to the Nazir in Criminal cases", for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted namely :-

"(1) Pending the completion of an enquiry or trial, the articles in avidence or the personal property of an accused produced by the police shall, unless otherwise ordered by the court, remain in the custody of the nazir, except where it consists of valuables, currency notes or coins. Valuables, currency notes or coins, invariably by kept into a sealed packet in the presence of the Magistrate and a memorandum in the prescribed from (Schedule V. No. 198) giving the list of the property and the estimate value thereof prepared. The sealed packet and memorandum shall be sent to the Treasury or Sub-Treasury officer through the Nazir to be kept in the treasury for safe custody and the treasury officer or sub-treasury officer shall proceed in accordance with Financial Rules 9 and 10. The memorandum shall be returned to the Magistrate and filed in the record of the enquiry or trial. Each packet, whether sent to the treasury officer or sub-treasury officer shall be entered in the above-mentioned register and the alleged contents and their value noted in the appropriate columns."

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
जी. एस. दुबे, एडीशनल रजिस्ट्रार.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. भअकमं.-स्था.-भ.नि.-12-547.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 266 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मण्डल की सेवा में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भरती के लिये तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा लागू होना**—(1) ये नियम "मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल सेवाएं (भरती तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2011" कहलाएंगे.

(2) ये नियम म. प्र. राजपत्र के प्रकाशन के दिनांक से लागू माने जाएंगे.

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का क्रमांक 27) है;

(ख) "नियम" से अभिप्रेत "मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002" से है;

(ग) "मण्डल" से अभिप्रेत उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित "मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" से है;

(घ) "शासन या सरकार" से अभिप्रेत है "मध्यप्रदेश शासन"

(ङ) "राज्य" से अभिप्रेत है "मध्यप्रदेश राज्य"

(च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है ''मध्यप्रदेश के राज्यपाल''

(छ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 18 के अधीन शासन द्वारा नियुक्त मण्डल का अध्यक्ष (Chairperson) से है;

(ज) ''सचिव'' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 19 सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की अन्य शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 265 के अधीन शासन के पूर्व अनुमोदन से मण्डल द्वारा नियुक्त मण्डल के सचिव से है;

(झ) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत ''मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल'' के सचिव से है;

(ञ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है ''इन नियमों से संलग्न अनुसूची-एक में यथा उल्लेखित किसी भी पद पर मण्डल की सेवा करने वाले व्यक्ति से है'';

(ट) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है ''इन नियमों से संलग्न अनुसूची'';

(ठ) ''समिति'' से अभिप्रेत है ''यथास्थिति विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति जो मण्डल की अनुशंसा पर शासन द्वारा गठित की जाए'';

(ड) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है ''कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा कोई जाति मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है'';

(ढ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है ''कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है'';

(ण) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है ''राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग'';

(त) ''प्रतिनियुक्त कर्मचारी/अधिकारी'' से तात्पर्य ''शासन के विभाग से कर्मचारी/अधिकारी, जिसकी सेवाएं मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर ली गई हैं'' से है.

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम, अनुसूची-एक में यथा उल्लेखित मण्डल के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हैं;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भरती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किए गये हों.

5. सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी, और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 7 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीके में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

7. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा/चयन तथा साक्षात्कार अथवा दोनों तरीकों से सीधी भरती द्वारा;

(ख) चयन तथा साक्षात्कार की स्थिति में अजजा/अजा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार 10 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी.

(ग) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(घ) शासकीय विभागों निगम/मंडलों या स्वायत्तशासी संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति या संविलियन द्वारा; तथा

(ङ) संविदा आधार पर,

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) अथवा (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय, अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या एवम् प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

8. सीधी भरती के लिये पात्रता की शर्तें.—सीधी भरती के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्.—

(1) **आयु.**—(क) सीधी भरती के मामले में अभ्यर्थी की न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा तथा उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण वैसा ही होगा, जैसा कि राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवा के लिये नियत है.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में

शिथिलीकरण वैसा ही होगा, जैसा कि राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवा के लिये नियत है.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगी.—

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थाई सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थाई रूप से पद धारण कर रहा हो, तथा किसी दूसरे पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरुप जो आयु निकले, शिथिलीकरण वैसा ही होगा, जैसा कि राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवा के लिये नियत है.

स्पष्टीकरण.—पद "छटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था;

(चार) कोई अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरुप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था, जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरुप अथवा स्थापना में कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी अथवा जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया था:—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,

सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(3) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं), जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(4) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक नहीं बन सकेंगे;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ङ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) उन अभ्यर्थियों के लिये, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारण करते हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के लिये उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) उन अभ्यर्थियों के लिये जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मण्डलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन कमीशंड अधिकारियों की उच्चतर आयु सीमा, उनके द्वारा की गई, नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(ट) नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

टिप्पणी.—अन्य किन्हीं भी मामलों में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—सीधी भरती के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, अनुसूची-तीन के कालम (5) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगी; परन्तु—

(क) अपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह समझा जा सकेगा, जिसके पास इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उतीर्ण की हो जिसके कारण नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये पात्र समझे, और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों पर, जो अन्यथा अर्हित हों किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हों, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये विचार किया जा सकेगा.

(3) **फीस.**—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

(4) **आरक्षण.**—(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये सीधी भरती के प्रक्रम पर पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद प्रत्येक वर्ग में महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे.

(ग) शासन निर्देशों के अनुसार नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.

9. **निरर्हताएं.**—नियुक्ति के लिये निरर्हताएं निम्नलिखित होंगी:—

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे चयन के लिये निरर्हित ठहराया जा सकेगा.

(2) ऐसा अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हो या ऐसा अभ्यर्थी जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, सेवा में के किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त कारण है, तो ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस उपनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा.

(3) किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा.—

(क) यदि उसे किसी प्राधिकारी, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;

(ख) यदि उसे ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अक्षमता अन्तर्वलित हो.

(4) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसे एसे स्वास्थ्य परीक्षण जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा और पद के कर्त्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए.

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हों, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा; परन्तु जहाँ तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामलें लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा.

(6) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(7) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा.**—परीक्षा/चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी न किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **सीधी भरती के लिए प्रक्रिया.**—(1) जब सीधी भरती से भरा जाने वाला कोई पद रिक्त हो तथा नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि रिक्त पद को मण्डल के हित में भरा जाना है, तब मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल अथवा मण्डल अध्यक्ष द्वारा चयनित संस्था अथवा समिति के माध्यम से जिसे राज्य शासन द्वारा अनुमोदन किया गया हो, समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मंगाकर चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा या मौखिक साक्षात्कार द्वारा या दोनों के द्वारा किया जाए.

(3) चयन समिति, यथास्थिति, प्रतियोगिता परीक्षा या मौखिक साक्षात्कार या दोनों में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर, ऐसे अभ्यर्थियों को, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे, योग्यता के क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त स्तर से अर्हित नहीं हैं, किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. यह सूची सर्व-साधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जाएगी.

(4) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्त स्थानों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(5) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(6) चयन सूची उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी. जिसे विशेष परिस्थितियों में, शासन की अनुमति से छः माह की कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा.

12. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति हेतु अनुसूची-चार में वर्णित समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे.

(2) समिति की बैठक सामान्यतः प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम एक बार होगी.

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की पदोन्नति के संबंध में पदों का आरक्षण, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के नियम 5 के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा.

13. **पदोन्नति हेतु आधार का अवधारण.**—(1) चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में एवं द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति ''वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता'' के आधार पर की जाएगी.

(2) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति ''योग्यता-सह-वरिष्ठता'' के आधार पर की जाएगी.

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**—समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची चार में उल्लेखित वर्ष की सेवा, चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में पूर्ण कर ली हो:

परन्तु यह कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, केवल इस आधार पर कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है, उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान देकर पदोन्नति के लिये विचार नहीं किया जाएगा.

15. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची का तैयार किया जाना.**—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति हेतु उपयुक्त ठहराये गये हों. यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. ऐसी सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये चयन के लिये मापदण्ड निम्नानुसार होगा:—

(क) ''योग्यता-सह-वरिष्ठता'' के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन के लिये विचारण क्षेत्र, चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के सामान्यतः पांच गुना तक सीमित होगा. परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित विचारण क्षेत्र में उपयुक्त अधिकारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो विचारण

क्षेत्र उस सीमा तक विस्तारित किया जा सकेगा, जैसा कि समिति, लिखित कारणों को अंकित करते हुये, आवश्यक समझे.

(ख) जहां "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता" के आधार पर पदोन्नति की जाना हो, वहां सभी प्रवर्गों के लिये कोई विचारण क्षेत्र नहीं होगा.

(2) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(3) यदि, चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण करना प्रस्तावित किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के कारण अभिलिखित करेगी.

16. **चयन सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह उसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की लिखित सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपान्तरणों के साथ अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा, जो उसकी राय में न्यायसंगत प्रतीत हो.

(3) चयन सूची सामान्यत: तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (2) के अनुसार उसे पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता, किन्तु उसकी विधि मान्यता ऐसी सूची तैयार करने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी.

17. **चयन सूची में से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हैं. परन्तु जहां प्रशासनिक आवश्यकता के कारण किंसी व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है या जो चयन सूची में अगले प्रक्रम पर न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रिक्ति के 3 मास से अधिक समय तक चलने की संभावना नहीं है.

(2) ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना सामान्यत: तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब कि सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो.

18. **परिवीक्षा.**—(1) सेवा में सीधी भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी कारण लेखबद्ध करते हुए परिवीक्षा की अवधि को कुल मिला कर एक वर्ष से अनधिक समय के लिये बढ़ा सकेगा.

(3) यदि सीधी भरती द्वारा नियुक्त व्यक्ति के बारे में परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि उसने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा वह आशयित स्तरमान को पूरा करने में असफल हो गया है तो उसकी सेवायें कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकने योग्य होंगी.

(4) कोई व्यक्ति, जिसे परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या परिवीक्षा के अन्त में सेवा से हटा दिया गया है, तो वह मण्डल या राज्य सरकार से किसी प्रकार के प्रतिकर के लिये हकदार नहीं होगा.

19. **परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं को निरन्तर किया जाना.**—परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने पर, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उस सेवा या पद पर निरन्तर किया जाएगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है.

20. **पदक्रम सूची.**—(1) सेवा के लिये एक ऐसी पदक्रम सूची रखी जाएगी, जिसमें कि सेवा में सम्मिलति पदों को धारण करने वाले समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम वरिष्ठताक्रम में अवस्थित होंगे.

(2) यह पदक्रम सूची संवर्गवार रखी जाएगी.

(3) प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को पदक्रम सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

21. **वरिष्ठता का निर्धारण.**—वरिष्ठता का निर्धारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12 में अधिकथित सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा.

22. **परिवीक्षकों को वेतन.**—सीधी भरती से नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा के दौरान वेतनमान का न्यूनतम वेतन तथा उस पर देय मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेगा. बाद में सेवा निरंतर किये जाने पर पिछली वेतनवृद्धि सहित अवशेष राशि देय होगी.

23. **अनुकम्पा नियुक्ति.**—मण्डल संवर्ग में सेवारत नियमित कर्मचारियों में से किसी का भी सेवा के दौरान असामयिक निधन हो जाने पर उसके परिवार के पात्र किसी एक सदस्य को तृतीय श्रेणी अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में उसकी योग्यतानुसार पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति दी जा सकेगी. भरती का मापदण्ड तथा पात्रता की अन्य शर्तें वैसी ही होंगी, जैसी शासकीय कर्मचारियों के लिये विहित हैं.

24. **प्रतिनियुक्ति.**—(1) मंडल में जो पद प्रतिनियुक्ति से भरने के लिये मंजूर किये गये हैं, उनकी पूर्ति सामान्य तौर पर श्रम विभाग से सेवायें लेकर की जावेंगी.

(2) प्रतिनियुक्ति योग्य व्यक्तियों के पेनल में से स्वीकार की जा सकेगी.

(3) प्रतिनियुक्ति की अधिकतम कालावधि तीन वर्ष की होगी, किन्तु इसे सेवायें देने वाले विभाग की सहमति से और आगे बढ़ाया जा सकेगा.

25. **आमेलित कर्मचारी/अधिकारी की वरीयता.**—यदि कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए बाद में मण्डल की सेवा में ही आमेलित किया जाता है तो, जिस ग्रेड में वह आमेलित किया गया है, उस ग्रेड में उसकी वरीयता की गणना सामान्यत: उस ग्रेड में आमेलन (Absorbed) की तिथि से की जायेगी.

26. **मण्डल कर्मियों को वेतनमान.**—राज्य सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय वेतनमान, समान पद श्रेणी के सेवा के सदस्यों को संचालक मण्डल के अनुमोदन से लागू होगा.

27. **भत्ते.**—संचालक मण्डल के अनुमोदन से मण्डल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निम्न भत्ते उसी दर से प्राप्त होंगे जैसे कि समान पद श्रेणी के शासकीय सेवकों को प्राप्त होते हैं :—

(1) मंहगाई भत्ता,

(2) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता,

(3) मकान किराया भत्ता,

(4) वाहन भत्ता,

(5) नि:शक्त कर्मचारियों को नि:शक्त भत्ता,

(6) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ता,

(7) यात्रा भत्ता,

(8) अन्य भत्ते, जो शासन द्वारा समय-समय पर देय है.

28. **छुट्टियां.**—(अ) **आकस्मिक छुट्टियां.**—राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान मण्डल के सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को 13 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा कोई 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश देय होगा.

(ब) **अन्य छुट्टियां.**—अन्य अवकाशों के मामले में मण्डल की सेवा के सभी नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों को यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के उपबंध लागू होंगे.

(स) **अवकाश मंजूरी की शक्तियां.**—सचिव अथवा मण्डल का अन्य अधिकारी जिसे सचिव के अनुमोदन से अवकाश स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित किये जावें.

29. **सेवा अभिलेख.**—(1) सेवा के प्रत्येक सदस्य की एक सेवा पुस्तिका रखी जाएगी. सेवा पुस्तिका का अनुसरण तथा संधारण उसी रीति में तथा उसी प्ररूप में किया जाएगा, जैसा कि सरकारी सेवकों के लिये विहित है. सेवा पुस्तिकाएं मुख्यालय में सचिव द्वारा तथा संभागों के अधीन आने वाले कर्मचारियों की सेवा पुस्तकें संभागीय/जिला कार्यालय द्वारा बनाए रखी जाएंगी. परन्तु सभी प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की सेवा पुस्तकें मुख्यालय स्तर पर ही संधारित होंगी.

(2) प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा अभिलेख उनके पैतृक विभागों में ही संधारित किए जाएंगे.

(3) **निजी नस्तियां.**—(क) सेवा पुस्तिकाओं के समान ही सेवा के प्रत्येक सदस्य की निजी नस्तियां संधारित की जावेंगी और रखी जावेंगी.

(ख) निजी नस्ती में नियुक्ति, पदोन्नति, निलंबन, दण्ड, अवकाश की मंजूरी आदि के मूल आदेश और ऐसी सेवा के सदस्यों से संबंधित अन्य विशिष्टियां जिनसे उनके कार्य, चरित्र, आचरण आदि पर प्रकाश पड़ सकता है, अन्तर्विष्ट की जावेंगी.

(4) **गोपनीय प्रतिवेदन.**—(क) सेवा के समस्त सदस्यों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा.

(ख) गोपनीय प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल को 31 मार्च की स्थिति में लिखा जाएगा.

(ग) प्रतिवेदन का प्ररूप, प्रथम प्रतिवेदन, पुनर्विलोकन करने तथा प्रतिवेदन को ग्राह्य करने की प्रक्रिया उसी प्रकार की होगी, जैसी राज्य शासन के सेवकों के संबंध में लागू है.

(घ) सचिव अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, सेवा के संबंधित सदस्य को उसके गोपनीय प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रतिकूल प्रविष्टि ग्राह्य किये जाने से सामान्यत: 90 दिवस के भीतर संसूचित करेगा. प्रतिकूल टीका के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन की जांच और उसका निपटारा तीन माह के भीतर किया जाएगा.

(ङ) गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने के संबंध में समय-सारणी निम्नानुसार होगी :—

1. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा — 30 अप्रैल तक
2. समीक्षक अधिकारी द्वारा — 31 मई तक
3. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा — 30 जून तक.

(च) गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के लिये प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी शासन के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा विहित किये जावेंगे. इस उप नियम के अन्तर्गत न आने वाले अन्य अनुदेशों के मामले में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-एक क्रमांक 7 में जैसा अधिकथित है, का अनुसरण किया जाएगा.

30. **आचरण नियम.**—मण्डल की सेवा के प्रत्येक सदस्य पर, निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के यथा संशोधित प्रावधान लागू होंगे :—

(1) सेवा के सदस्यों द्वारा मण्डल की प्रतिकूल आलोचना करना प्रतिषिद्ध है.

(2) आचरण नियमों के नियम 19 के अधीन जंगम या स्थावर सम्पत्ति के अर्जन या व्ययन की मंजूरी देने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे:—

(क)	तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के मामले में.	—संभागीय/जिला अधिकारी
(ख)	प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में.	— सचिव
(ग)	सचिव के मामले में	— अध्यक्ष.

31. **अनुशासनिक कार्यवाहियां.**—(1) मण्डल सेवकों पर आचरण से संबंधित मामलों में दण्ड, निलंबन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जावेगी.

(2) **अनुशासनिक प्राधिकारी**—इन नियमों के उपबंधों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अध्यधीन रहते हुए, शास्तियां अधिरोपित करने के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी नीचे दिये अनुसार होंगे :—

(क)	तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के संबंध में	लघु शास्ति एवं दीर्घ शास्ति.	—सचिव
(ख)	प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संबंध में.	लघु शास्ति	—सचिव
(ग)	प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संबंध में.	दीर्घ शास्ति	—अध्यक्ष

(3) **अपील.**—नियमानुसार शास्ति के विरुद्ध आगामी वरिष्ठ अधिकारी अथवा अध्यक्ष के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा.

32. **नियम, आदेश और अनुदेशों आदि का लागू होना.**—इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सेवा संबंधी मामलों में मध्यप्रदेश मूलभूत नियम, मध्यप्रदेश पदग्रहण काल नियम, 1982, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सेवा) नियम, 1960, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 तथा सामान्य पुस्तक परिपत्र के उपबंध, मण्डल सेवा के सदस्यों को यथा संशोधित रूप में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि सरकारी सेवकों को लागू है.

33. **अधिवार्षिकी आयु.**—मण्डल कर्मचारी/अधिकारी 60 वर्ष की अथवा इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होंगे. परन्तु निरन्तर खराब अभिलेख के आधार पर किसी कर्मचारी को उसके द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर तीन माह का नोटिस देकर या नोटिस के बदले वेतन का संदाय कर या उतने दिन का वेतन देकर जितने से कि नोटिस की अवधि कम पड़ रही है, किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकेगा.

34. **यात्रा भत्ता, आवास भत्ता आदि.**—(1) राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर लागू यात्रा भत्ता नियम, सेवा के सदस्यों को भी लागू होंगे. तथापि ऐसे मामलों में, जहां प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षित है कि यात्रा राज्य में या राज्य से बाहर की जाए, वहां सचिव यात्रा, निवास तथा भोजन (लाजिंग तथा बोर्डिंग) संबंधी व्यय ऐसी दरों पर मंजूर कर सकेगा, जो मण्डल के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उपगत किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त हो, बशर्ते कि उसके द्वारा उपगत किये गये व्ययों की मूल रसीदें इस निमित्त उसके दावे के साथ प्रस्तुत की जाएं.

(2) मण्डल के अधिकारियों को, उनकी स्वयं की कार से यात्रा करने पर ऐसी दर से रोड माइलेज संदत्त किया जाएगा, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये.

35. **चिकित्सा सहायता.**—(1) सेवा का प्रत्येक सदस्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये उसी प्रकार हकदार होगा, जिस प्रकार कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के अधीन प्रदेश के अंदर तथा प्रदेश के बाहर उपचार कराने के लिये शासकीय कर्मचारी हकदार होते हैं.

(2) इस प्रयोजन के लिये परिवार की वही परिभाषा होगी जैसी कि उक्त नियमों में विहित है. यदि पति/पत्नी दोनों सेवा में हैं और उनमें से एक इस मण्डल की सेवा में है तथा दूसरा अन्य कहीं सरकारी सेवा में या निगम/मंडल की सेवा में है, तो दोनों को यह लिखकर घोषित करना होगा कि कौन कहां से चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त करेगा. सामान्यत: जो जहां सेवा में है वह वहीं से अपना चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करें. परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों के क्लेम दोनों में से कोई एक कहीं से भी प्राप्त कर सकता है.

(3) प्रदेश के अंदर इलाज सभी सरकारी चिकित्सालयों में अथवा शासन द्वारा अर्थ सहायित चिकित्सालयों में कराया जा सकता है. शासन द्वारा जिन निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान की गई है, वहां से भी इलाज कराया जा सकता है.

(4) प्रदेश से बाहर इलाज उन्हीं चिकित्सालयों में कराया जा सकेगा जो शासन द्वारा इस हेतु अनुमोदित हैं. सामान्यत: प्रदेश से बाहर इलाज कराने हेतु संचालक मण्डल की पूर्व अनुमति

लेना आवश्यक होगी. किन्तु आपात दशा में गंभीर बीमारी के मामले में गुणदोष के आधार पर संचालक मण्डल द्वारा कार्योत्तर मंजूरी भी दी जा सकेगी.

(5) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे का परीक्षण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार किया जावेगा.

(6) मण्डल चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कोई अन्य सरल प्रक्रिया का निर्धारण भी कर सकता है.

36. **अनुग्रह राशि का भुगतान.**—अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया) का भुगतान सरकारी सेवकों को लागू रीति में ऐसी दरों से किया जाएगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर की जाती है.

37. **ऋण तथा अग्रिम.**—(1) लम्बी अवधि के ऋण जैसे भूखण्ड क्रय करने, गृह निर्माण करने अथवा बना-बनाया मकान क्रय करने के लिये या वर्तमान मकान में परिवर्तन या परिवर्धन करने से संबंधित ऋण और नया या पुराना वाहन क्रय करने आदि के लिये ऋण, कर्मचारी स्वेच्छानुसार किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक से बिना कोई वित्तीय सीमा के ले सकते हैं. इस ऋण को चुकाने की जिम्मेदारी भी उनकी स्वत: की होगी. मण्डल से उन्हें इस प्रकार का कोई ऋण तथा अग्रिम मंजूर नहीं होगा. मण्डल केवल उनके वेतन से कटौत्रा की अनुमति दे सकेगा.

(2) निगम निधि से केवल निम्न अग्रिम स्वीकृत किये जा सकेंगे—

(क) यात्रा अग्रिम/स्थानांतरण पर यात्रा अग्रिम (मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग एक के संगत नियमों में उल्लेखित सीमा एवं शर्तों के अध्यधीन रहते).

38. **सेवानिवृत्ति हितलाभ.**—(1) मण्डल के समस्त कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 व कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुसार कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य होंगे तथा उक्त योजना के अन्तर्गत अंशदायी भविष्य निधि पाने के हकदार होंगे.

(2) **समूह बीमा योजना.**—मण्डल के समस्त कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा की समूह बीमा योजना के सदस्य हो सकते हैं तथा यथा प्रावधानुसार उनको लागू दर से उनका मासिक अंशदान वेतन से वसूल कर जमा किया जाता रहेगा.

39. **इन नियमों के लागू होने के पूर्व से संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण.**— जो कर्मचारी इन नियमों के लागू होने के पूर्व से मण्डल में संविदा पर कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन या निश्चित वेतन पर कार्यरत हैं, यदि वे भरती नियमों के अनुसार पदों को लागू न्यूनतम योग्यता रखते हैं और रोजगार कार्यालय में अभी भी पंजीकृत हैं तो सभी प्रकार से उपयुक्त पाये जाने की दशा में रिक्त पदों पर उनका नियमितीकरण सीमित चयन प्रक्रिया द्वारा किये जाने पर विचार किया जाएगा.

40. **शक्तियों का प्रत्यायोजन.**—इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय तथा नियम 6 के अधीन नियुक्ति की शक्तियों के सिवाय, संचालक मण्डल या अध्यक्ष, ऐसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपनी किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन मण्डल के किसी अधिकारी को कर सकेगा.

41. **सेवा की अवशिष्ट शर्तें.**—कर्मचारी की सेवा शर्तों से संबंधित ऐसी कोई भी बात, जिसके लिये इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, आवश्यकतानुसार राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों के अध्याधीन होंगे.

42. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि ऐसे किसी विषय के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति में कार्यवाही करने की मण्डल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो, सीमित या कम करती है; क्योंकि यह मण्डल एक स्वशासी निकाय है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो उसके लिये इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा कम अनुकूल हो.

43. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे संचालक मण्डल को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा पर ऐसा निर्णय शासन द्वारा एतद् संबंध में बनाये गये नियमों के सुसंगत होगा.

44. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम तथा अनुदेश एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों या कार्यपालन अनुदेशों के अधीन की गई कोई बात या गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

प्रभात दुबे, सचिव.

अनुसूची-एक

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्र.	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान	मुख्यालय हेतु	50 मैदानी कार्यालयों हेतु प्रति कार्यालय	50 मैदानी कार्यालयों हेतु जिला कार्यालय	कुल पद	नियुक्ति का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सचिव	प्रथम श्रेणी (उप श्रमायुक्त)	संवर्गीय वेतनमान 15600-39100+7600 37400-67000+8700	01	-	-	01	श्रम विभाग से उप श्रमायुक्त स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा.
2	सहायक सचिव	द्वितीय श्रेणी (श्रम पदाधिकारी)	संवर्गीय वेतनमान 15600-39100+5400	02	-	-	02	श्रम विभाग से श्रम पदाधिकारी स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा
3	लेखाधिकारी	द्वितीय श्रेणी	संवर्गीय वेतनमान 15600-39100+5400	01	-	-	01	वित्त विभाग (कोष एवं लेखा सेवा) से प्रतिनियुक्ति पर.
4	जिला कल्याण अधिकारी (सहायक श्रम पदाधिकारी)	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	संवर्गीय वेतनमान 9300-34800+3600	01	01	50	51	श्रम विभाग से सहायक श्रम पदाधिकारी के स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति.
5	कल्याण पर्यवेक्षक (श्रम निरीक्षक)	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	संवर्गीय वेतनमान 5200-20200+2800	03 (संभागीय मुख्यालय के जिलों हेतु 3 प्रति कार्यालय शेष जिलों हेतु 2 प्रति कार्यालय)		110	113	श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक के स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा.
6	लेखापाल ग्रेड-1	तृतीय श्रेणी	संवर्गीय वेतनमान 5200-20200+2800 या संविदा राशि	01	-	-	01	संविदा/सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा
7	सहायक वर्ग-3 सह स्टेनो टायपिस्ट सह कम्प्यूटर आपरेटर	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	पे-बैण्ड 1 5200-20200+ 2400/- या संविदा राशि	07	01	50	57	संविदा/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा
8	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	पे-बैण्ड 1 5200-20200+ 1800/- या संविदा राशि	03	01	50	53	संविदा नियुक्ति
9	भृत्य-सह-चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	पे-बैण्ड एस-1 4440-7440+ 1400/- या संविदा राशि	06	01	50	56	संविदा नियुक्ति
			कुल योग . .	25	-	310	335	

अनुसूची-दो

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलियन द्वारा	संविदा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	सचिव	01	-	श्रम विभाग से 100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति से	-
02	सहायक सचिव	02	-	श्रम विभाग से 100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति से	-
03	लेखा अधिकारी	01	-	वित्त विभाग (कोष एवं लेखा सेवा) से प्रतिनियुक्ति पर	-
04	जिला कल्याण अधिकारी	51	-	श्रम विभाग से 100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति से	-
05	कल्याण पर्यवेक्षक	113	-	श्रम विभाग से 67 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति से	33 प्रतिशत
06	लेखापाल	01	-		100 प्रतिशत
07	सहायक वर्ग-3 सह स्टेनो टायपिस्ट सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	57	67%	-	33 प्रतिशत
08	वाहन चालक	53	-	-	100 प्रतिशत
09	भृत्य-सह-चौकीदार	56	-	-	100 प्रतिशत

अनुसूची-तीन

अनु. (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	न्यूनतम आयु (4)	अधिकतम आयु (4)	शैक्षणिक अर्हतायें (5)
1	सहा. वर्ग-3 सह स्टेनों टायपिस्ट सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	18	35	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं शासन के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कम्प्यूटर ज्ञान एवं टायपिंग प्रमाण-पत्र (स्टेनोग्राफी योग्यता को वरीयता).
2	वाहन चालक	18	35	8वीं पास तथा संबंधित वाहन चालन का जीवित लायसेंस
3	भृत्य-सह-चौकीदार	18	35	8 वीं पास

प्रभात दुबे, सचिव.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. भसकमं.-स्था.-भ.नि.-12-710-**शुद्धिपत्र.**—इस कार्यालय की अधिसूचना क्र. भसकमं.-स्था.-भ.नि.-12-547, दिनांक 9 मार्च 2012 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के भर्ती नियम का प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग-4(ग), दिनांक 16 मार्च 2012 को पृष्ठ क्रमांक 192 से 202 पर किया गया है जिसमें त्रुटिवश अनुसूची-चार का प्रकाशन छूट गया है. जिसे अनुसूची-तीन के बाद अनुसूची-चार निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

अनुसूची-चार

अनु.-क्रमांक (1)	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी (2)	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी (3)	वांछित अनुभव (4)	पदोन्नति समिति (5)
1	कल्याण पर्यवेक्षक	कल्याण अधिकारी	न्यूनतम पांच वर्ष का सेवा अनुभव.	अध्यक्ष—प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम सदस्य—श्रमायुक्त अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य जो उप श्रमायुक्त से निम्न न हो. सदस्य—अध्यक्ष द्वारा नामांकित मण्डल का सदस्य. सदस्य—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम द्वारा नामांकित कोई राजपत्रित स्तर का अधिकारी यदि उक्त सदस्यों में से कोई इस वर्ग का न हो.
2	सहायक वर्ग-2	सहायक वर्ग-1	न्यूनतम पांच वर्ष का सेवा अनुभव.	अध्यक्ष—मण्डल का सचिव. सदस्य—प्रमुख सचिव/सचिव श्रम द्वारा नामांकित सदस्य जो अवर सचिव से निम्न न हो. सदस्य—अध्यक्ष द्वारा नामांकित मण्डल का कोई सदस्य. सदस्य—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का श्रमायुक्त द्वारा नामांकित कोई राजपत्रित अधिकारी यदि उक्त सदस्यों में से कोई इस वर्ग का न हो.
3	सहायक लेखापाल	लेखापाल	न्यूनतम पांच वर्ष का सेवा अनुभव.	अध्यक्ष—मण्डल का सचिव. सदस्य—प्रमुख सचिव/सचिव श्रम द्वारा नामांकित सदस्य जो अवर सचिव से निम्न न हो. सदस्य—अध्यक्ष द्वारा नामांकित मण्डल का कोई सदस्य. सदस्य—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का श्रमायुक्त द्वारा नामांकित कोई राजपत्रित अधिकारी यदि उक्त सदस्यों में से कोई इस वर्ग का न हो.
4	सहायक वर्ग-3	सहायक वर्ग-2	न्यूनतम पांच वर्ष का सेवा अनुभव.	अध्यक्ष—मण्डल का सचिव. सदस्य—प्रमुख सचिव/सचिव श्रम द्वारा नामांकित सदस्य जो अवर सचिव से निम्न न हो. सदस्य—अध्यक्ष द्वारा नामांकित मण्डल का कोई सदस्य. सदस्य—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का श्रमायुक्त द्वारा नामांकित कोई राजपत्रित अधिकारी यदि उक्त सदस्यों में से कोई इस वर्ग का न हो.

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त पदोन्नतियां अनुसूची-एक एवं दो में वांछित प्रावधान होने पर की जा सकेंगी.

प्रभात दुबे, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.